(18)

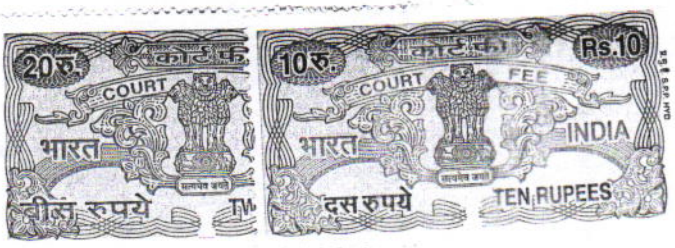

20रु. कोर्ट फी COURT भारत बीस रुपये
10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

प्र.क्र. R 4335 - I-16

मिहीलाल तनय हरिसिंह सौर (आदिवासी)
निवासी ग्राम बिजरी तह. बण्डा जिला सागर

.............निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्व

.........अनावेदक

म.प्र.शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र 88 / अ–121 / 15–16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पटारी स्थित भूमि खसरा क्र 442 / 2 रकवा 0.40 हे. एंव ग्राम कांटी स्थित भूमि खसरा क्र 746 / 2 रकवा 0.47 हे राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम पर भूमिस्वामी स्वामित्व में दर्ज भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, कलेक्टर सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, कलेक्टर को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अत्याधिक श्रम व धन व्यय कर उसे काबिल काश्त बनाने की

जितेन्द्र सिंह एड०
94251-71223
7000853503

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–4385–एक/2016 जिला–सागर

मिहीलाल विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07 –05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 88/अ–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 12–06–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 07/5/19	